

पत्रावली पेश हुई। आज्ञावली वकील उपाधीत।  
पत्रावली का अवलोकन किया। अजराय में  
आजल वकील द्वारा मुं. नं. 11/13 अपील प्रामा  
मे निर्णय दि. 4-2-19 पर उक्त आ. पत्र मुकद  
वापर किया है। ~~जिस~~ जिसमें तहसील कारखि  
को निर्णय की प्रति पालना हेतु भिजवायी जा  
पत्रावली दि. 31-3-2021 की रिपोर्ट। प्रकरण में  
नामान्तरकरण अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया  
गया है जिसको दर्ज करते हुए तहसीलदार, हिंडौन को  
गुणावगुण के आधार पर न्यायोचित निर्णय करना है।  
प्रकरण में निर्णय प्रति TDR Hindaun को भेज दी गई है।  
इसकारण अजराय पत्रावली चलाने का कोई औचित्य  
नहीं है। अतः पत्रावली शॉप की जाती है। पत्रावली निर्णय  
सुमार होकर नम्बर से कम हो।

25/3/2024

25.03.2021  
(सुरेश कुमार यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिंडौन (पंचवली)